269

संख्या- /XVIII(II)/2015-18(27)/201

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 10 मार्च, 2015

विषयः-जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी में दरांती-मतियाली-बसन्तकोट-ढीलम मोटरमा के निर्माण हेतु कुल 2.086 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-245/सात-12/2014-15 दि0-27.12.2014 त आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-5437/रा0प0-भू0हस्त (द0म0ब0ढी0मो0मार्ग)/2015 दि0-16.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल, ग्राम एवं रा0उ0नि0क्षे0 **बसन्तकोट,** तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ ख0खा0सं0-13 के खसरा सं0-1 मध्ये 0.207 है0, 30 म0 0.108 है0, 73 म0 0.180 है0, 75 0.106 है0, 87 म0 0.020 है, 89 म0 0.055 है0, 90 म0 0.135 है0, 92 म0 0.155 है0, खाता सं0- के खसरा सं0-91 श्रेणी 10(2) रास्ता 0.020 है0 कुल **09 खेतो की 0.986 है0** तथा ग्राम **फल्यांटी** नॉन जेड0ए0 खाता खतौनी सं0-14 श्रेणी 10(4)ब0न0आ0 के खसरा सं0-399 म0 0.117 है0, 5 म0 0.054 है0, 607 म0 0.062 है0, 1021 म0 0.117 है0, 1256 म0 0.045 है0, 1338 म0 0.072 है 1340 म0 0.027 है0, 2730 म0 0.054 है0, 2732 म0 0.054 है0, 1021/2738 म0 0.189 है ख0खा0सं0-12 श्रेणी 10(2) रास्ता के खसरा सं0-608 म0 0.020 है0 तथा ख0खा0सं0-7 की श्रे 9(3)ङ बं0का0आ0 के खसरा सं-689 म0 0.060 है0, 1020 म0 0.065 है0, 1935 म0 0.090 है0 त 1937 म0 0.074 है0 **15 खेतों की कुल 1.100 है0** इस प्रकार **उक्त दोनों ग्रामों के 24 खेतों की कु 2.086 है0** भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 /वित्त अनुभाग-3/2002 दिना 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागी परामर्श/अनापत्ति के कम में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभा उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उस लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लि उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बि भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

....

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 व इसके समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011 /SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या–215/समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।